

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, जलियत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) नगर निर्माण कार्य आरम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेंगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त हो जा सकती है ।

एकल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थी

जी+1
आवासीय

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 186 दिनांक 19/03/2019

प्रार्थी श्रीमती शान्ती देवी एवं श्री सुरेश राम

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12216/- जमा

करिये रसीद संख्या 1028/4317, 4318

दिनांक 19/03/2019 को जमा करा दी है ।

P.No = 20/317 चौपालनी
टाऊनिंग बोर्ड

(Signature)

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

(Signature)
Suresh Ram Charak
9982098780

टोकने पर वर्कशॉप का आयोजन

के आरोपी को भेजा

नवज्योति/देचू। स्थानीय में चामू सरपंच मूलाराम भील कार्य कर रहे मजदूरों के पीछे चोटे